भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1417
दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर जागरुकता कार्यक्रम

1417. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः
श्रीमती महुआ मोइत्राः
श्री नारायण तातू राणेः
डॉ. थोल तिरूमावलवनः
श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में साइबर अपराधों और साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि से अवगत है;
(ख) यदि हां तो महाराष्ट्र में भिवंडी सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दर्ज किए गए, पता लगाए गए और निपटाए गए, साइबर अपराध के मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने और जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का देशभर में अतिरिक्त साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं और साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने निवारक सॉफ्टवेयर के विकास के माध्यम से शुरुआती चरण में ही ऐसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हां तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 के दौरान

साइबर अपराधों (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। एनसीआरबी केवल जिला स्तर पर दर्ज मामलों को एकत्र करता है।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए)के माध्यम से साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना सहित अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण हेतु की जा रही पहलों में एडवाइजरियों और विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों को शुरुआती चरण में रोकने और फोरेंसिक क्षमताओं, साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनाँक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है।

ii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 132.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

iii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र' (जिसे पहले राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) {एनसीएफएल (आई)} के नाम से जाना जाता था) स्थापित की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, साइबर अपराधों से संबंधित 14,064 से अधिक मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

iv. वर्तमान में, साइबर अपराध के मामलों की जांच में सहायता के लिए देश भर में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 28 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। राज्य एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से वित्तपोषित स्कीम के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एफएसएल में साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

v. गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों, साइबर जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और इसी तरह की चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 22.01.2025 को MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत CyMAC (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) को स्थापित किया है।

vi. CERT-In (सीईआरटी-इन) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमलों और कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर आधार पर नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों के संबंध में अलर्ट और एडवाइजरी जारी करता है।

vii. सीईआरटी-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों और हितधारक (स्टेकहोल्डर) एजेंसियों के साथ जानकारी को साझा करता है।

viii. आवश्यक शमन के लिए दुर्भावनापूर्ण डोमेन और फिशिंग गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीईआरटी-इन द्वारा एआई संचालित स्थितिजन्य जागरूकता प्रणालियों को तैनात किया गया है।

ix. सीईआरटी-इन राज्य सरकारों और संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जानकारी एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और विशेष रूप से तैयार अलर्ट को उनके साथ साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन करता है ताकि उनके द्वारा खतरे को कम करने की सक्रिय कार्रवाई की जा सके।

x. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सीईआरटी-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है, जो साइबर स्पेस में स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण का विस्तार करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र मैलिशस प्रोग्रामों और संवेदनशील सेवाओं का पता लगाने और राज्यों और क्षेत्रों के संगठनों को उपचारात्मक उपाय प्रदान करने में मदद करता है।

xi. सूचना सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और जांच करने के लिए सीईआरटी-इन ने 237 सुरक्षा जांच संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

xii. साइबर सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने तथा सरकार (केंद्र और राज्य) और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारी को सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा संबंधी मॉक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वय और सूचना साझा करने की सुविधा के लिए राज्यों में इन अभ्यासों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कॉलर ट्यून अभियान, अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

लोक सभा अता.प्र.सं. 1417 दिनांक 28.07.2026

अनुलग्नक-I

वर्ष 2022-2024 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रवार दर्ज किए गए मामले (सीआर), पुलिस द्वारा निपटाए गए मामले (सीडीओपी), न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले (सीडीबीसी) के तहत साइबर अपराध (संचार उपकरणों को माध्यम/लक्ष्य के रूप में शामिल करते हुए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022			2023			2024		
		सीआर	सीडीओपी	सीडीबीसी	सीआर	सीडीओपी	सीडीबीसी	सीआर	सीडीओपी	सीडीबीसी
1	आंध्र प्रदेश	2341	2348	211	2341	1497	159	2528	1327	263
2	अरुणाचल प्रदेश	14	10	0	24	44	0	78	13	0
3	असम	1733	4524	143	909	2844	279	408	1422	112
4	बिहार	1621	1300	5	4450	2482	4	6380	1481	12
5	छत्तीसगढ़	439	420	41	473	461	38	660	668	114
6	गोवा	90	40	2	86	59	0	77	44	4
7	गुजरात	1417	1255	42	1995	1814	94	1592	1517	158
8	हरियाणा	681	665	37	751	879	68	1815	1238	90
9	हिमाचल प्रदेश	77	69	7	127	46	15	148	48	23
10	झारखंड	967	659	44	1079	1032	299	1423	814	187
11	कर्नाटक	12556	15942	2883	21889	15262	2137	21993	23468	3969
12	केरल	773	755	36	3295	796	133	2962	1208	108
13	मध्य प्रदेश	826	553	179	685	475	252	1081	767	222
14	महाराष्ट्र	8249	4626	170	8103	6179	167	9922	5784	100
15	मणिपुर	18	1	0	3	0	0	5	0	0
16	मेघालय	75	66	0	64	40	0	97	76	0
17	मिजोरम	1	1	0	31	13	0	50	32	30
18	नागालैंड	4	10	0	2	6	0	14	5	0
19	ओडिशा	1983	2488	22	2348	1041	39	2501	1567	20
20	पंजाब	697	243	45	511	455	54	888	378	60
21	राजस्थान	1833	1670	80	2435	1504	111	1527	1709	87
22	सिक्किम	26	0	0	12	4	1	15	26	1
23	तमिलनाडु	2082	351	60	4121	480	91	5793	1090	97
24	तेलंगाना	15297	14026	1679	18236	11682	978	27230	19593	1344
25	त्रिपुरा	30	40	3	36	25	3	33	25	0
26	उत्तर प्रदेश	10117	10447	954	10794	10057	927	11073	12296	1931
27	उत्तराखण्ड	559	497	1	494	467	38	543	333	19
28	पश्चिम बंगाल	401	592	15	309	367	15	282	461	24
	कुल राज्य	**64907**	**63598**	**6659**	**85603**	**60011**	**5902**	**101118**	**77390**	**8975**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	11	1	47	28	2	28	13	4
30	चंडीगढ़	27	19	7	23	32	5	116	29	6
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	7	1	6	6	1	5	7	0
32	दिल्ली	685	215	9	407	402	49	404	414	70
33	जम्मू और कश्मीर	173	123	7	185	130	9	114	94	8
34	लद्दाख	3	3	0	1	0	0	1	3	0
35	लक्षद्वीप	1	1	1	1	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	64	11	0	147	9	0	142	25	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**986**	**390**	**26**	**817**	**607**	**66**	**810**	**585**	**88**
	कुल (अखिल भारत)	**65893**	**63988**	**6685**	**86420**	**60618**	**5968**	**101928**	**77975**	**9063**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।